




जबकि प्रार्थी की अवाप्त 62 वर्ग मीटर भूमि का मुआवजा वाणिज्यक दर से 5864/-रु प्रति वर्ग मीटर तथा 141 वर्ग मीटर अवाप्त भूमि का मुआवजा आवासीय बाजार दर से 5594/-प्रति वर्गमीटर के हिसाब से एवं निर्माण लागत 8100/-रु प्रति वर्गमीटर के हिसाब से दिया जाना चाहिए था। किन्तु प्रार्थी को केवल निर्माण के 22,90,698/-रु का अवार्ड पारित किया गया है, जबकि प्रार्थी 1,98,98,278/-रु प्राप्त करने की अधिकारी होने के कारण पारित अवार्ड निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधिनियम की धारा 3 (ग)(II) में यह परिभाषित किया गया है कि ऐसा कोई कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन कोई भूमि नहीं है किन्तु ऐसे कुटुम्ब या कोई सदस्य या कृषि श्रमिक, अभिधारी या उस भूमि से लाभ प्राप्त करने वाले ऐसे सभी व्यक्ति जो भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक प्रभावित क्षेत्र में कार्य कर रहे हों जिनकी जीविका का मुख्य स्रोत भूमि अर्जन से प्रभावित हो गया है उक्त परिभाषा के अन्तर्गत आता है। इसके लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी विस्थापन से हुई क्षति के लिए समुचित प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी को अवाप्त भूखण्ड का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है केवल मात्र निर्माण का ही मुआवजा दिया गया जो भी बहुत कम है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 30(1), 30(2) एवं 30(III), धारा 31 के मापदण्डों के तहत प्रार्थी का मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अवाप्त किये जाने हेतु अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत दिनांक 30.9.2019 को अधिसूचना जारी की गयी है। जिसका दो समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में सार्वजनिक सूचनार्थ दिनांक 3.10.2019 को प्रकाशन किया गया। यह तर्क भी दिया कि अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत सभी हितबद्ध व्यक्तियों को दिनांक 2.12.2019 को सूचना जारी की जाकर हितबद्ध व्यक्तियों को आक्षेपों/आपत्तियों के लिए 60 दिवस का समय दिया जाकर प्राप्त आपत्तियों की सुनवायी की गयी।

यह तर्क भी दिया कि उक्त भूमि को अवाप्ति किये जाने से पूर्व भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा विधिवत सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित करते हुए एवं प्रार्थी की ओर से ग्राम पिपलाई के ख0न. 0 281 के क्रम में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड ख0न0 281 रकबा 1.13 है मे से प्रार्थी का 1/9 दर्ज कर रखा है किन्तु प्रार्थी की भूमि अवाप्त नहीं हुई है इसलिए मुआवजा नहीं दिया गया है प्रार्थी केवल मात्र निर्माण कार्य का ही मुआवजा प्राप्त करने की अधिकारी है। अवाप्त भूमि का अवार्ड प्रार्थी के पक्ष में जारी करने के संबंध में खातेदार बाबूलाल वगै. द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 95/2021 में आपत्ति की गयी है। यह तर्क भी दिया कि भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा कोई वाद कारण उत्पन्न होने का कारण भी अंकित नहीं किया है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष अपने स्वामित्व संबंधी पंजीकृत दस्तावेज एवं राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किये हैं। अवाप्त भूमि पर मौके पर रेल्वे द्वारा विधिवत कब्जा प्राप्त कर निर्माण कार्य किया जा चुका है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी के द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध निर्धारित प्रावधानों एवं नियत अवधि में गठित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत नहीं किया तथा माननीय न्यायालय को उक्त प्रकरण को सुनवायी का क्षेत्राधिकार भी नहीं है। अतः भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास द्वारा पारित अवार्ड विधिसम्मत होने के कारण प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रा0पत्र खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।


.....(2).....

(सुरेश कुमार शैल)   
जिला कलेक्टर  
अवार्ड माधोपुर

वकील उभय पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपजिला कलेक्टर बामनवास द्वारा आर.ओ.बी. 24 निर्माण हेतु वाके ग्राम पिपलाई तहसील बामनवास की भूमि ख0न0 281 रकबा 1.13 है0 मे से 0.19 ऐयर भूमि अवाप्त की गयी है। उक्त ख0न0 मे प्रार्थी की पत्नि सगीरन का 22/113 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज है जिसका अवार्ड अन्य सह खातेदारान के साथ-साथ प्रार्थी की पत्नि सगीरन के नाम भी जारी किया जा चुका है। इस प्रकार प्रार्थी की खातेदारी की भूमि उक्त आर.ओ.बी. निर्माण कार्य हेतु अवाप्त नहीं हुई है इसलिए भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है परन्तु प्रार्थी द्वारा करवाये गये निर्माण संरचना /मकान इत्यादि जो आर.ओ. बी. निर्माण कार्य हेतु अवाप्त हुए है उसकी मुआवजा राशि का अवार्ड प्रार्थी के पक्ष मे पारित किया जा चुका है। इस प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी के हिस्से/खातेदारी की भूमि आरओबी निर्माण हेतु अवाप्त किया जाना नहीं पायी गयी है। जहाँ तक निर्माण संरचना का अवार्ड कम दर से दिये जाने का प्रश्न है तो उक्त अवार्ड सर्वे कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार ही दिया गया है तथा अवाप्त भूमि का अवार्ड व्यवसायिक/आवासीय दर से चाहा गया है किन्तु भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत भूमि कि किस्म की डीएलसी दर से ही अवार्ड जारी करने का प्रावधान है तथा उक्त प्रावधान के अनुसार ही अवाप्त भूमि का अवार्ड पारित किया गया है। तथा मालिकाना हक तय करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में भूमि अवाप्ति अधिकारी उपजिला कलेक्टर बामनवास द्वारा पारित अवार्ड मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने के कारण किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी उपजिला कलेक्टर बामनवास द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 5.2.2021 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 7.6.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

  
(सुरेश कुमार ओला)  
जिला कलेक्टर  
सवाईमाधोपुर